

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 1980/माघ 1, 1901
No. 29] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1980/MAGHA 1, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके -

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1980

का. आ. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्मिथ स्टूडिन्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1977 (1977 का 41) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 713(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 1977 को अधिक्रांत करते हुए, श्री पी. बी. राजारमण,

उप-सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक विभाग, नई दिल्ली, को संदाय
आयुक्त नियुक्त करती है।

[फा. 42014(1)/77-डी.सी.]

सी. वी. एस. मणि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Fertilizers)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1980

S.O. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977 (41 of 1977) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilisers No. S.O. 713(E) dated 13th October, 1977, the Central Government hereby appoints Shri P. V. Rajaraman, Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi as Commissioner of Payments.

[F. 42014(1)/77-DC]

C. V. S. MANI, Jt. Secy.